न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : संजीव मागो, RJS (DJ Cadre)

सेशन प्रकरण CIS संख्याः 58/2021

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

-अभियोगी

-: वि रू द्ध :-

अवधेश पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम नाहिला, थाना राजाखेड़ा, जिला-धौलपुर (राज.)

-अभियुक्त

''अपराध अंतर्गत धारा 498-ए, 302, विकल्प में धारा 304-बी भा.दं.सं. के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 58/2021, पुलिस थाना राजाखेड़ा, जिला धौलपुर (राज.)

उपस्थिति:-
1. श्री शैलेन्द्र सिंह मथुरिया, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2. श्री दाउदयाल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

-: निर्णय:- दिनांक: 11/03/2026

1) थानाधिकारी, पुलिस थाना राजाखेड़ा, जिला-धौलपुर ने अभियुक्त अवधेश के विरूद्ध धारा 498-ए, 304-बी भा.दं.सं. के आरोप के अन्तर्गत अभियोग पत्र विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा, जिला-धौलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण सैशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण इस न्यायालय को उपार्पित किये जाने पर नंबर पर दर्ज किया गया।

2) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी साहब सिंह ने थाना राजाखेड़ा पर दिनांक 03/04/21 को एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि मेरी लड़की की शादी 16/04/19 को जिसका नाम कविता (आरती) जिसके पति का नाम अनिल कुमार है, लड़की के एक बच्चा उम्र 10 माह लड़क है, आज दिनांक 03/04/21 को समय करीब 01:30 बजे मेरी लड़की की मारपीट करके उसे जान से मार दिया गया घटना को अंजाम देने वाले लड़की का जेठ मुरारी, जिठानी राजकुमारी, ननद जूली, सास ओमवती, ससुर विजेन्द्र सिंह, देवर अवधेश, पति अनिल कुमार ये लोग लड़की पर दहेज के लिए उत्पीडन करते थे बार-बार मारने की धमकी देते और घटना बुलेट गाड़ी और एक लाख रूपये, लर अंगुठी मांगते थे और जान से मारने की धमकी देते और रोज मारपीट करते थे आज सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है....आदि। जिस पर आरक्षी केन्द्र राजाखेड़ा,

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
11.03.2026 01:51
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

धौलपुर पर प्राथमिकी सं. 58/21 दर्ज कर अनुसंधान किया गया व बाद अनुसंधान उक्त अभियुक्त अवधेश के विरूद्ध धारा 498-ए, 304-बी भा.दं.सं. के आरोप के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं अन्य अभियुक्तगण अनिल, बिजेन्द्र, श्रीमती ओमवती, मुरारी, राजकुमारी, जूली के विरूद्ध धारा 173 (8) दं.प्र.सं. में अनुसंधान लम्बित रखा गया।

3) बहस आरोप सुनने के पश्चात् मुल्जिम अवधेश के विरूद्ध धारा 498-ए, 302 विकल्प में धारा 304-बी भा.दं.सं. के आरोप बनना पाये जाने पर उक्त आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4) अभियुक्त के विरूद्व आरोपों के विचारण के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षीगण पी.डब्ल्यू.1 साहब सिंह, पी डब्ल्यू. 2 आशिकी, पी.डब्ल्यू. 3 पुष्पा, पी.डब्ल्यू. 4 मनीष, पी.डब्ल्यू. 5 शिवचरन, पी.डब्ल्यू. 6 महेश, पी.डब्ल्यू. 7 महेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू. 8 सरोज, पी.डब्ल्यू. 9 माया, पी.डब्ल्यू. 10 श्रीभगवान सिंह, पी.डब्ल्यू. 11 रामेन्द्र, पी.डब्ल्यू. 12 मनोज, पी.डब्ल्यू. 13 रामकिशोर, पी.डब्ल्यू. 14 शैलेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू. 15 मोहन सिंह, पी.डब्ल्यू. 16 पप्पूराम, पी.डब्ल्यू. 17 रणधीर, पी.डब्ल्यू. 18 डॉ. राजकुमार, पी.डब्ल्यू. 18 गौरव शर्मा, पी.डब्ल्यू. 19 राकेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 20 मनोज कुमार को परीक्षित कराया जाकर उनके कथन लेखबद्ध करवाये गये। गवाह पी.डब्ल्यू. 18 गौरव शर्मा, पी.डब्ल्यू. 19 राकेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 20 मनोज कुमार की साक्ष्य संख्या पी.डब्ल्यू. 19, 20 व 21 पढ़ी जावेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नानुसार वर्णित दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गयाः-

अभियोजन प्रदर्श	प्रदर्श का विवरण
पी-1	**तहरीरी रिपोर्ट**
पी-2	**चाक एफ आई आर**
पी-3	**फर्द पंचायतनामा**
पी-4	**रसीद सुपुर्दगी लाश**
पी-5	**नक्शा मौका घटनास्थल**
पी-6	**फर्द जब्ती लाश**
पी-7,	**फर्द जब्ती कपड़े की**
पी. 8	**फर्द जब्ती एक साड़ी**
पी. 9	**फर्द जब्ती प्लास**
पी. 10	**शादी कार्ड**
पी. 11	**एम एल आर आशिकी**
पी. 12	**धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान आशिकी**

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
11.03.2026 01:51
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

अभियोजन प्रदर्श	प्रदर्श का विवरण
पी.13 से 21	पुलिस बयान आशिकी, पुष्पा, मनीष, शिवचरन, महेश, महेन्द्र सिंह, श्रीमती सरोज, श्रीमती मायादेवी, श्रीभगवान
पी. 22	तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल
पी. 23	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
पी. 24	फर्द जब्ती दो सील्डशुदा कांच के जार
पी.25	एफ एस एल माल जमा प्राप्ति रसीद
पी. 26	पोस्टमार्टम रिपोर्ट कविता
पी. 27	धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
पी. 28 से 52	फोटोग्राफ्स
पी. 53-ए	मालखाना रजिस्टर प्रति

5) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत परीक्षित कर उसके कथन लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इंकार किया।

6) बहस अंतिम सुनी गयी।

7) बहस के दौरान विद्वान लोक अभियोजक का निवेदन है कि अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध करायी गयी है, उससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित है अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जावे।

8) इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में स्वयं मृतका की माता व उसकी बहिन जो कि मृतका के ससुराल में ही विवाहित है, ने न्यायालय बयानों में दहेज की मांग को लेकर मृतका को तंग व परेशान करने बावत् कोई बयान नहीं दिये हैं न ही पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य है कि अभियुक्त ने मृतका की हत्या की हो व अन्य जो साक्ष्य आयी है वह औपचारिक साक्ष्य है अतः अभियुक्त को अपराध से जोड़ने बावत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अतः उसे दोषमुक्त किया जावे।

9) उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया इस प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि-

1. क्या अभियुक्त द्वारा अपनी भाभी कविता उर्फ आरती, एवं अपनी पत्नी आशिकी को विवाहोपरांत दहेज की मांग लेकर या अन्यथा, उन्हें तंग व परेशान कर, एवं मारपीट कर उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, व दिनांक

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
11.03.2026 01:51
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

03/04/21 को ग्राम नाहिला में अपने घर पर अपनी भाभी कविता उर्फ आरती को फांसी लगाकर उसकी हत्या कारित की व अभियुक्त ने मृतका कविता उर्फ आरती का देवर होते हुए विवाह से सात वर्ष की अवधि के भीतर, मृत्यु से ठीक पूर्व, कविता उर्फ आरती के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता कारित की व कविता उर्फ आरती की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थिति में फांसी लगने के कारण कारित हुई इस प्रकार अभियुक्त अवधेश ने धारा 498-ए, 302, विकल्प में धारा 304-बी भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?

यदि हां तो उचित दण्ड क्या हो ?

10) इस संबंध में न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या मृतका की मृत्यु उसके विवाह से सात वर्ष के अंतराल में सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थिति में हुई?

11) इस संबंध में पत्रावली पर मृतका कविता उर्फ आरती की शादी का कार्ड प्र. 10 पत्रावली पर संलग्न है, जिसमें मृतका की शादी 16/04/2019 को होना व मृतका की मृत्यु दिनांक 03/04/2021 को असामान्य परिस्थिति में होना उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रमाणित है, एवं मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का स्पष्ट कारण एफ एस एल रिपोर्ट आने के बाद दिया जाना चिकित्सक साक्षी पी.डब्ल्यू. 18 डॉ. राजकुमार द्वारा बताया गया है, हालांकि प्रकरण में कोई एफ एस एल रिपोर्ट नहीं आयी है, किन्तु फिर भी मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृतका की मृत्यु उसके विवाह से सात वर्ष के अंतराल में असामान्य परिस्थिति में होना साबित है।

12) अब प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित किया गया व मांग पूर्ति न होने पर उसकी दहेज हत्या कारित की गयी?

13) इस तथ्य को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पी.डब्ल्यू. 1 साहब सिंह है जो कि मृतका का पिता है व प्रकरण में रिपोर्टकर्ता है। जिसने अपनी साक्ष्य में अपने द्वारा दर्ज करायी गयी तहरीरी रिपोर्ट के अनुरूप कथन करते हुए अपनी पुत्री गविता उर्फ आरती की शादी अनिल से व अपनी दूसरी पुत्री आशिकी की शादी अनिल के भाई अवधेश से दिनांक 16/04/19 को की जाना बताते हुए दिनांक 03/04/21 को अवधेश, मुरारी, गविता की ननद जूली, जिठानी राजकुमारी, सास ओमवती द्वारा दहेज में मोटर साईकिल की मांग

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
11.03.2026 01:51
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

को लेकर गविता को मार दिया जाना बताया है एवं शादी के तुरंत बाद ही गविता और आशिकी के साथ उनके ससुराल वाले अवधेश, अनिल, जूली, राजकुमार, सास ओमवती दहेज में मोटर साईकिल की मांग को लेकर मारपीट करने लगे जो समझाने पर भी नहीं माने दिनांक 03/04/21 को उसकी छोटी पुत्री आशिकी ने फोन पर बताया कि गविता को अवधेश, जूली, राजकुमार, ओमवती, मुरारी, ने दहेज में मोटर साईकिल के लिए मारपीट करके मार डाला है। इस प्रकार इस गवाह द्वारा मृतका से दहेज की मांग किया जाना अपनी साक्ष्य में बताया है।

14) इस गवाह की साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 2 आशिकी की साक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मृतका की बहिन है जो भी अभियुक्त के परिवार में ही विवाहित है, जिसके साथ भी दहेज की मांग की जाना, अभियोजन लेकर आया है। पी.डब्ल्यू. 2 आशिकी ने अपनी साक्ष्य में अपनी व अपनी बहिन कविता की शादी क्रमशः अवधेश व अनिल के साथ होना बताया है व शादी के बाद उसे व उसकी बहिन कविता को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाना अपनी साक्ष्य में कथन किया है व घटना दिनांक को खाना बनाने की बात को लेकर कविता का नाराज होकर कमरे में चले जाना व साड़ी से फंदा लगाकर आत्म हत्या कर ली जाना, बताया है। उक्त् गवाह अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित करायी गयी है जिसके द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है व उसके व मृतका के साथ किसी प्रकार की दहेज की मांग किये जाने के संबंध में कोई कथन न्यायालय के समक्ष नहीं किये हैं।

15) इसके अतिरिक्त अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 3 पुष्पा जो कि मृतका की मां है, पी.डब्ल्यू. 4 मनीष मृतका का भाई है, यह दोनों गवाहान भी पक्षद्रोही रहे हैं व उन दोनों गवाहान के द्वारा भी मृतका अथवा उसकी बहिन आशिकी से अवधेश अथवा अन्य ससुरालीजन द्वारा किसी प्रकार की दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

16) अन्य गवाहान में पी.डब्ल्यू. 4 मनीष, पी.डब्ल्यू. 5 शिवचरन, पी.डब्ल्यू. 6 महेश, पी.डब्ल्यू. 7 महेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू. 8 सरोज, पी.डब्ल्यू. 9 माया, पी.डब्ल्यू. 10 श्रीभगवान सिंह जो कि स्वतंत्र गवाहान के रूप में परीक्षित हुए हैं वह सभी पक्षद्रोही रहे हैं जिन्होंने घटना के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं दी है।

17) अन्य गवाह पी.डब्लयू. 11 रामेन्द्र पंचायतनामा प्र.पी. 3, लाश सुपुर्दगी प्र.पी. 4,, नक्शा मौका प्र.पी. 5, फर्द जब्ती पार्चेजात आदि के संबंध में साक्ष्य देता है, औपचारिक

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
11.03.2026 01:51
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

साक्षी है। पी.डब्ल्यू. 12 मनोज पंचायतनामा व फर्द जब्ती सूरत-ए लाश मृतका कविता का औपचारिक साक्षी है। पी.डब्ल्यू. 13 रामकिशोर यादव व पी.डब्ल्यू. 14 शैलेन्द्र कुमार मुल्जिम की फर्द गिरफ्तारी प्र.पी 13 के औपचारिक साक्षी हैं। पी.डब्ल्यू. 15 मोहन सिंह पी.डब्ल्यू. 16 पप्पूराम, पी.डब्ल्यू. 17 रणधीर पुलिस के गवाह हैं जो फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम, फर्द जब्ती पार्चेजात, व सीलशुदा पैकेट एफ एस एल में जमा करने, के संबंध में औपचारिक साक्ष्य देते हैं पी.डब्ल्यू. 19 गौरव शर्मा फोटो खींचने वाल है, जो मृतका की मृत्यु के पश्चात् लाश एवं घटनास्थल की फोटोग्राफी करने के संबंध में औपचारिक साक्ष्य देता है, पी.डब्ल्यू. 20 राकेश कुमार मालखाना प्रभारी है जो प्रकरण से संबंधित पार्चेजात को मालखाने में जमा करने के संबंध में औपचारिक साक्ष्य देता है, पी.डब्ल्यू. 21 मनोज कुमार प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है जो अपनी साक्ष्य में प्रकरण का अनुसंधान किये जाने के संबंध में औपचारिक साक्ष्य देता है।

18) इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त प्रकार की साक्ष्य से यह तथ्य तो भली-भांति प्रमाणित पाया गया है कि मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थिति में उसके विवाह से सात वर्ष के अंतराल में हुई है किन्तु मृतका से किसी प्रकार की दहेज की मांग की गयी हो, यह तथ्य मृतका की बहिन, मृतका की मां व भाई व अन्य स्वतंत्र गवाहान की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है व परिवादी के कथनों की पुष्टि अन्य साक्ष्य से नहीं हुई है व प्रकरण में इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं आयी है कि मृतका से दहेज की मांग की जाती हो व मांग पूर्ति न होने पर उसकी दहेज हत्या कारित की गयी हो। मृतका की मृत्यु का स्पष्ट कारण उसका पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक द्वारा एफ एस एल रिपोर्ट आने के पश्चात् ही बताया जाना अपनी साक्ष्य में बताया है, किन्तु प्रकरण में कोई एफ एस एल रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है। फिर भी मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितयों से भिन्न परिस्थितियों में होना उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ है व एफ एस एल रिपोर्ट नहीं आने से मृत्यु का स्पष्ट कारण न्यायालय के समक्ष नहीं आ सका है व प्रकरण में एफ एस एल रिपोर्ट की महत्वता मात्र इसलिए थी कि मृतका की मृत्यु का स्पष्ट कारण न्यायालय के समक्ष आ सके, किन्तु मृतका की मृत्यु का स्पष्ट कारण नहीं आने से यह नहीं माना जा सकता कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थिति से भिन्न परिस्थिति में न हुई हो। अतः मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंतराल में सामान्य परिस्थिति से भिन्न परिस्थिति में होना पाया जाता है, किन्तु प्रकरण में अभियोजन द्वारा यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया गया है कि मृतका से दहेज

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
11.03.2026 01:51
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

की कोई मांग की गयी हो। इस प्रकार मृतका व उसकी बहिन आशिकी से अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताडित किया जाना व मांग की पूर्ति न होने पर मृतका की दहेज हत्या कारित किये जाने के तथ्य को अभियोजन पक्ष साक्ष्य से साबित नहीं कर सका है।

19) अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त द्वारा मृतका की हत्या कारित की गयी तो इस संबंध में मात्र परिवादी पी.डब्ल्यू. 1 साहब सिंह ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसकी छोटी पुत्री आशिकी ने उसे फोन पर बताया कि गविता को अवधेश व अन्य व्यक्तियों द्वारा मारपीट करके मार डाला है, इस प्रकार परिवादी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था व वह अपनी पुत्री आशिकी के बताये अनुसार बयान दे रहा है, किन्तु पी.डब्ल्यू. 2 स्वयं आशिकी ने परिवादी की साक्ष्य का समर्थन अपनी साक्ष्य से नहीं किया है व अन्य किसी गवाह द्वारा भी मृतका की हत्या किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य का समर्थन अन्य साक्ष्य से नहीं होने से अभियुक्त द्वारा मृतका की हत्या कारित की गयी हो, इस तथ्य के बारे में भी कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

20) अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त अवधेश के विरूद्ध धारा 498-ए, 302 विकल्प में धारा 304-बी भा.दं.सं. के आरोप के अपराध के संबंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है अतः अभियुक्त को उक्त आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: आदेश :-

21) परिणामस्वरूप अभियुक्त अवधेश पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम नाहिला, थाना राजाखेड़ा, जिला-धौलपुर (राज.) को धारा 498-ए, 302 विकल्प में धारा 304-बी भा.दं.सं. के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति बावत् पूर्व में प्रस्तुत नियमित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

22) प्रकरण में अन्य व्यक्ति अनिल, विजेन्द्र, श्रीमती ओमवती, मुरारी, राजकुमारी, व जूली के संबंध में धारा 173 (8) दं.प्र.सं. में अनुसंधान लम्बित रखा गया है, अतः

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
11.03.2026 01:51
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

पत्रावली के सरबरक पर इस आशय का नोट लाल स्याही से अंकित किया जावे व पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश, धौलपुर

23) यह निर्णय व आदेश आज दिनांक 11/03/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश, धौलपुर

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
11.03.2026 01:51
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"